BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 16 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित उर्फ देबू पुत्र केदार निवासी ग्राम मंगलौर थाना सलेमपुर बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में थाना सलेमपुर क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 277/13 धारा-363,366,376 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.11.22 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त अमित उर्फ देबू को 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री सुनील शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर